R.No. MAHENG/2004/14130
Regd. No. MH/MR/South-30/2012-14

खण्ड XIII ♦ अंक 5
नवम्बर 2016

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

बैंकिंग विनियमन

एस4ए के अंतर्गत आस्ति वर्गीकरण मानदंड संशोधन

हितधारकों से प्राप्त फीडबैक तथा आस्ति वर्गीकरण मानदंडों के औचित्य के विश्लेषण के आधार पर रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि दबावग्रस्त आस्तियों की संवहनीय संरचना के लिए योजना, ऋणों के लिए आस्ति वर्गीकरण मानदंड, ऐसे मामलों में जहां प्रवर्तकों में कोई परिवर्तन नहीं है, के पैरा 9 (ख) (iii)तथा (iv) को निम्नानुसार संशोधित किया जाए:

(iii) संदर्भ तिथि को अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किए गए खातों के संबंध में, मौजूदा विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार भाग ख के लिखत जब तक भाग ख में रहेंगे, तब तक ऐसे लिखतों को अनर्जक निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाना जारी रहेगा। सभी बैंकों द्वारा समाधान योजना का कार्यान्वयन करने पर संवहनीय भाग (भाग क) को वैकल्पिक रूप से 'मानक' माना जाएगा, बशर्ते कि ऋणदाताओं द्वारा भाग ख में धारित राशि का कम से कम 50 प्रतिशत अथवा सकल बकाया राशि (भाग क और ख का जोड़) का 25 प्रतिशत में से जो भी अधिक हो, का पहले से प्रावधान किया जाए। इस प्रयोजन से खाते में पहले से धारित प्रावधानों को मान्यता दी जा सकती है।

(iv) सभी मामलों में, ऋणदाता भाग ख को मानक श्रेणी में अपग्रेड कर सकते हैं तथा भाग क के ऋणों के एक वर्ष के संतोषजनक कार्य-निष्पादन के बाद उससे संबद्ध बढ़ाए गए प्रावधानों को बदल सकते हैं। खाते में पहले से मौजूद किसी ऋण-स्थगन के मामले में ऐसे दीर्घतम ऋण-स्थगन के पूर्ण होने के एक वर्ष बाद इस अपग्रेड की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इस अवधि के दौरान भाग क ऋण का कार्यनिष्पादन संतोषजनक रहा हो। तथापि, सभी मामलों में, भाग ख के लिखतों पर अपेक्षित एमटीएम प्रावधानों को हर समय बनाए रखा जाना आवश्यक है। हालांकि पैरा 9 (ख)(vi)के अनुसार संक्रमण का लाभ लिया जा सकता है।

वित्तीय आस्तियों की संवहनीय संरचना के लिए योजना को लागू करने पर बैंक अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों में परिशिष्ट में दिए गए प्रारूप के अनुसार प्रकटीकरण करेंगे।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10694Mode=0

विदेश में रुपया मूल्यवर्गीय बांड जारी करना

विदेश में रुपया मूल्यवर्गीय बांड का बाजार विकसित करने के लिए, साथ ही भारतीय बैंकों को पूंजी / लंबी अवधि फंड जुटाने के लिए एक अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए, रिजर्व बैंक ने 8 नवंबर 2016 को, बैंकों को विदेश में रुपया मूल्यवर्गीय बांड जारी करने के माध्यम से धन जुटाने की अनुमति निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए दी है:

- बेमीयादी ऋण लिखतें (पीडीआई) समय-समय पर संशोधित वर्तमान बासल III पूंजी विनियमों के तहत अपर टीयर 1 पूंजी के रूप में शामिल किए जाने के लिए योग्य;
- ऋण पूंजी लिखतें समय-समय पर संशोधित वर्तमान बासल III पूंजी विनियमों के तहत अपर टीयर 2 पूंजी के रूप में शामिल किए जाने के लिए योग्य;
- बैंकों द्वारा दीर्घकालिक बांड जारी कर बुनियादी ढांचे और किफायती आवास का वित्तपोषण-समय-समय पर यथासंशोधित, बुनियादी ढांचे और किफायती आवास का वित्तपोषण

उपरोक्त सभी निर्गम लागू विवेकपूर्ण मानदंडों और फेमा के दिशा-निर्देशों के अधीन होगें। **(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificatioEnUser.aspx?Id=10676Mode=0)**

आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों की अनुमत क्रियाएँ

रिजर्व बैंक ने 10 नवंबर 2016 को, आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों को स्थापित करने से संबंधित मुद्दों की जांच की और तदनुसार 10 नवंबर 2016 को निम्नानुसार निर्देशों को संशोधित किया:

- विदेशी मुद्रा में उधार सहित, फंड जुटाने के लिए सोर्स, भारत में न रहने वाला व्यक्ति और भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाएं होगी।
- फंड कापरिनियोजन दोनों व्यक्तियों भारत के निवासी व्यक्ति साथ ही साथ भारत में निवास न करने वाले व्यक्ति के साथ हो सकता है। हालांकि, भारत में निवासी व्यक्तियों के पास फंड का परिनियोजन फेमा, 1999 के प्रावधानों के अधीन होगा।

मौजूदा पैरा को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा।

''आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों (आईबीयू) उच्च निवल मूल्य व्यक्तियों (एचएनआई) / खुदरा ग्राहकों सहित अन्य व्यक्तियों के अलावा निवासी (फंड के परिनियोजन के लिए) और अनिवासी (संसाधन जुटाने और फंड परिनियोजन दोनों के लिए) संस्थाओं के साथ लेन-देन के कार्य कर सकते हैं।''

मौजूदा पैरा को यथासंशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

''अपने निदेशक बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के साथ, आईबीयू को संरचित उत्पादों सहित डेरिवेटिव लेनदेन करने जोकि बैंक भारत में परिचालित करते हैं उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान निर्देशों के अनुसार कार्य करने की अनुमति दी गई है।तथापि, आईबीयू को अन्य डेरिवेटिव और संरचनात्मक उत्पादों की पेशकश के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा। आरबीआई से अनुमोदन लेने से पहले, बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आईबीयू के पास कीमत,मूल्य और पूंजीगत प्रभार की गणना और पेश किए जा रहे उत्पादों / लेनदेन के साथ जुड़े जोखिम का प्रबंध करने की आवश्यक विशेषज्ञता है और साथ ही इस तरह के लेनदेन करने के लिए अपने बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया गया हो।''

एक नया पैरा जोड़ा जाएगा, जिसके निम्नानुसार पढ़ा जाए:

''आईबीयू को भारतीय निवासी संस्थाओं के विदेशी मुद्रा एस्क्रो खाते खोलने के लिए अनुमति दी जाती है ताकि वे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट (जीडीआर)/ अमेरिकी डिपॉजिटरी रिसीट (एडीआर) निर्गमों के अंशदान को अस्थायी रूप से होल्ड कर सकें जब तक प्राप्तियां जारी नहीं हो जाती। जीडीआर/एडीआर के जारी होने के पश्चात, फंड को तुरंत आईबीयू के बाहर ग्राहक के खाते में अंतरित किया जाना चाहिए और इसे लंबी अवधि जमा सहित किसी भी रूप में बैंक द्वारा बनाए रखा नहीं जा सकता''

''आईबीयू को रिजर्व बैंक के वर्तमान निर्देश के अनुसार विदेशी बाजार में भारतीय कंपनियों द्वारा भारतीय रुपया (आईएनआर) मूल्यवर्गीय विदेशी बांड के एरेंजर/हामीदार के रूप में कार्य करने की अनुमति है। तथापि, ऐसे मामलों में जहां आईबीयू द्वारा किए गए बीमा का हिस्सा उस पर अंतरित किया गया हो, बीमा की हुई होल्डिंग्स को बेचने का प्रयास किया जाए और जारी करने की तारीख से 6 महीने के बाद इस होल्डिंग का परिमाण निर्गम परिमाण से 5% से अधिक नहीं होना चाहिए।''

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10691Mode=0)

विषय सूची

	पृष्ठ
बैंकिंग विनियमन	
• एस4ए के अंतर्गत आस्ति वर्गीकरण मानदंड संशोधन	1
• विदेश में रुपया मूल्यवर्गीय बांड जारी करना	1
• आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों की अनुमत क्रियाएँ	1
विमुद्रीकरण	
• वर्तमान के 500 और 1000 रुपए के बैंक नोटों की वैध मुद्रा विशेषता की वापसी	2-3
• 10-27 नवंबर 2016 के दौरान बैंकों में गतिविधि	3
• महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला बैंक नोटों की सुरक्षा विशेषताएं	3
• फर्जी गतिविधियां विनिर्दिष्ट बैंक नोट	4
वित्तीय बाजार विनियमन	
• मुद्रा बाजार फ्यूचर्स	4
विदेशी मुद्रा प्रबंधन	
• स्टार्ट-अप द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधार	4
• ईसीबी - हेजिंग पर स्पष्टीकरण	4
• कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में एफपीआई द्वारा निवेश	4

विमुद्रीकरण

वर्तमान के ₹ 500 और ₹ 1000 के बैंक नोटों की वैध मुद्रा विशेषता की वापसी

भारत सरकार द्वारा दिनांक 08 नवंबर 2016 को जारी गज़ट अधिसूचना सं. 2652 के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ₹ 500 तथा ₹ 1000 मूल्यवर्ग के मौजूदा श्रृंखला के बैंक नोट (विनिर्दिष्ट बैंक नोट) को दिनांक 09 नवंबर 2016 से वैध मुद्रा नहीं रहेंगे। महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला नामक नई श्रृंखला के बैंक नोट (कृपया पृष्ठ 2 देखें) जिनका आकार और डिज़ाइन भिन्न है, और देश की सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक उपलब्धियों डालने वाले नोट 10 नवंबर 2016 को जारी किए गए। बैंक शाखाएँ प्राथमिक एजेंसियां होंगी जिनके माध्यम से आम जनता तथा अन्य संस्थाओं को विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को अन्य वैध मूल्यवर्ग के बैंक नोटों के साथ बदलवाना आवश्यक है। इन नोटों को बदलवाने की अंतिम तारीख 24 नवंबर 2016 थी और अपने खातों में जमा करने की निर्धारित अंतिम तारीख 30 दिसंबर 2016 है।

भारत सरकार और रिज़र्व बैंक ने बैंकों और आम जनता को इस योजना को परिचालित करने के लिए अनेक संप्रेषण किए। उपर्युक्त विषय पर रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए सभी संप्रेषण वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक के अंतर्गत उपलब्ध हैं (https://www.rbi.org.in/scripts/bsšviewcontent.aspx?Id=3270) ''₹ 500 और ₹ 1000 के नोटों के वैध मुद्रा दर्जे को वापस लेने के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक से आप जो जानना चाहते हैं।'' (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser. aspx?Id=10684Mode=0)

रिज़र्व बैंक ने ग्राहकों की सुविधा के लिए उपर्युक्त विषय पर बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न भी प्रकाशित किए हैं। स्टाफ अपने आपको इन बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्नों से परिचित करें (https://www.rbi.org.in/Scripts/FQView. aspx?Id=119)। दोनों लिंकों को दैनिक आधार पर अद्यतन किया जा रहा है। अनुदेशों की सारणी इस प्रकार है:

विषय	जारी करने की तारीख	विवरण
भारतीय रिज़र्व बैंक का बैंकों को अनुदेश	8 नवंबर	बैंकों को विस्तृत अनुदेश जिससे कि जनता और अन्य संस्थाएं अपने मौजूदा ₹ 500 और ₹ 1000 के नोटों को बदलवा सकें।
एटीएम में बदलाव करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का बैंकों को अनुदेश	9 नवंबर	एटीएम में बदलाव करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का बैंकों को अनुदेश
नकदी की सीमा में संशोधन	13 नवंबर	काउंटर से विनिर्दिष्ट बैंक नोटों की विनिमय की वर्तमान सीमा को ₹ 4000/- से बढ़ाकर ₹ 4500/- कर दिया गया है। एटीएम से प्रतिदिन आहरण की वर्तमान सीमा पुन: अंशशोधित किए गए एटीएम में ₹ 2000/- को बढ़ाकर ₹ 2500/- किया गया है, जबकि बैंकों के अन्य एटीएमों के मामले में यह सीमा ₹ 2000 ही होगी जब तक एटीएमों को अंशशोधित न कर दिया जाए। बैंक खातों से आहरण की साप्ताहिक सीमा को ₹ 20000/- से बढ़ाकर ₹ 24000/- किया गया है तथा ₹ 10000/- प्रतिदिन आहरण की सीमा नहीं रहेगी।
डीसीसीबी के पर्याप्त नकदी उपलब्ध	14 नवंबर	भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि जिला केंद्रीय सहकारी बैंक अपने वर्तमान ग्राहकों को उनके खाते से 24 नवंबर, 2016 तक ₹ 24000/- प्रति सप्ताह पैसा निकालने की अनुमति दे सकते हैं।
	14 नवंबर	चालू खाता धारकों (पिछले तीन महीनों या इससे अधिक समय से परिचालनरत चालू खातों पर लागू) को एक सप्ताह में ₹ 50,000/- तक नकदी निकालने की अनुमति दी जाती है।
एटीएम प्रभारों से माफी	14 नवंबर	रिज़र्व बैंक ने निर्णय लिया गया है कि बैंक, बचत बैंक ग्राहकों द्वारा स्वयं के बैंक के एटीएम और साथ ही साथ अन्य बैंक के एटीएम पर किए गए सभी लेनदेनों (वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों ही लेनदेनों सहित) के लिए एटीएम प्रभारों को समाप्त कर दें चाहे महीने में कितने भी लेनदेन क्यों न किए गए हों। यह छूट 10 नवंबर 2016 से दिनांक 30 दिसंबर, 2016 तक एटीएम पर किए गए लेनदेनों पर लागू है, बशर्ते यह समीक्षाधीन होगा।
काउंटरों पर विनिमय की सीमा संशोधित की गई	17 नवंबर	समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों के काउंटर से विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के नकद विनिमय की सीमा ₹ 2000/- की जाएगी, जो 18 नवंबर, 2016 से प्रभावी होगी। यह सुविधा प्रत्येक व्यक्ति के लिए केवल एक बार ही उपलब्ध होगी।
ओवरड्राफ्ट/ नकदी क्रेडिट खातों के लिए नकदी आहरण सुविधा	21 नवंबर	चालू / ओवरड्राफ्ट / नकदी क्रेडिट खाता धारक, जिनके खाते पिछले तीन महीनों या इससे अधिक समय से परिचालित हैं, एक सप्ताह में ₹ 50000/- तक नकद आहरण कर सकते हैं। यह बढ़ी हुई साप्ताहिक आहरण सीमा व्यक्तिगत ओवरड्राफ्ट खातों पर लागू नहीं है
विवेकपूर्ण मानदंडों में रियायत	21 नवंबर	छोटे उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि किसी ऋण खाते को सब-स्टैंडर्ड मानने के लिए संबंधित विनियमित संस्था (आरई) के लिए लागू सीमा से 60 अतिरिक्त दिन प्रदान किए जाएं। बैंकों, एनबीएफसी, डीसीसीबी,पीएसी या एनबीएफसी-एमएफआई से लिए गए आवास और कृषि ऋण सहित यह वैयक्तिक और फसल ऋण पर भी लागू होगा।
विवाह के लिए नकदी आहरण	21 नवंबर	अपने बच्चों का विवाह कराने और उत्सव मनाने के लिए जनता को सक्षम बनाने की दृष्टि से, 8 नवम्बर 2016 को कारोबार की समाप्ति पर खाते में जमा शेष से 30 दिसम्बर 2016 तक केवाईसी अनुपालक बैंक जमा खाते में से अधिकतम ₹ 2,50,000/- की राशि निकालने की अनुमति है। राशि की निकासी की जा सकती है यदि शादी की तारीख 30 दिसंबर 2016 को हो अथवा उससे पहले हो। आहरण केवल माता-पिता या वह व्यक्ति कर सकता है जिसकी शादी है।
किसानों/ एपीएमसी/ मंडियों में पंजीकृत व्यापारियों के लिए संशोधन	21 नवंबर	किसानों को उनके ऋण (किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट सहित) अथवा जमा खाते से प्रति सप्ताह ₹ 25000/- तक नकद आहरण की अनुमति दी जा सकती है जो उनके खाते में वर्तमान केवाईसी दिशानिर्देशों के पूरा करने के अधीन होगी। एपीएमसी बाजारों / मंडियों के साथ पंजीकृत व्यापारियों को उनके खाते से ₹ 50000/- तक आहरण की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते ये खाते वर्तमान केवाईसी दिशानिर्देशों को पूरा करते हों तथा पिछले तीन महीनों या इससे अधिक समय से परिचालित हों।
रबी फसल मौसम के लिए नकदी उपलब्ध कराना बैंकों को एडवाइजरी	22 नवंबर	करेंसी चेस्ट रखने वाले बैंकों को सूचित किया गया है कि वे डीसीसीबी और आरआरबी के लिए पर्याप्त नकदी आपूर्ति सुनिश्चित करें। नाबार्ड अपनी लगभग ₹ 23,000 करोड़ की नकदी क्रेडिट सीमा का उपयोग करेगा जिससे कि डीसीसीबी पीएसी और किसानों को अपेक्षित फसल ऋण संवितरित कर सकें।
विवाहोत्सव के प्रयोजन हेतु नकदी आहरण में संशोधन		व्यक्तियों की विस्तृत सूची तैयार करना, जिनको नकद भुगतान किया जाना प्रस्तावित है, इसके साथ इन व्यक्तियों से घोषणा-पत्र लेना कि उनका बैंक खाता नहीं है, जहां प्रस्तावित राशि का भुगतान ₹ 10000/- या इससे अधिक हो। सूची में यह इंगित करना चाहिए कि प्रस्तावित भुगतान किस उद्देश्य से है।

इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष उपाय	22 नवंबर	डिजीटल भुगतानों को अपनाने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं जिनमें प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) की सीमा में वृद्धि और व्यापारियों को विशेष छूट शामिल है। उपर्युक्त उपाय 30 दिसंबर 2016 तक लागू होंगे और ये समीक्षाधीन हैं।
लघु बचत योजनाओं में विनिर्दिष्ट बैंक नोट (एसबीएन) जमा कराना	23 नवंबर	यह सूचित किया गया है कि लघु बचत योजनाओं के अंशदाताओं को लघु बचत योजनाओं में एसबीएन जमा कराने की अनुमति नहीं है। इसलिए बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे तत्काल प्रभाव से लघु बचत योजनाओं में एसबीएन स्वीकार नहीं करें।
विनिर्दिष्ट बैंक नोट वापस लेना: पेंशनभोगियों और सहस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों की नकदी आवश्यकताएं	24 नवंबर	सरकारी अधिकारियों और पेंशनभोगियों के वेतन/पेंशन का इलेक्ट्रॉनिक भुगतान करने के बाद उनकी नकदी की मांग को पूरा करने की दृष्टि से, बैंकों को सूचित किया गया है कि वे इनके लिए नकदी संभावित मांग को पूरा करने के लिए उचित कदम उठाएं: (i) पेंशनभोगियों की आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए पर्याप्त नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित करें, (ii) सहस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों की नकदी आवश्यकताओं के लिए सैन्य आउटपोस्टों पर पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करें।
विनिर्दिष्ट बैंक नोटों का काउंटरों पर विनिमय बंद करना	24 नवंबर	समीक्षा करने के उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि 24 नवंबर 2016 की आधी रात के बाद विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को काउंटरों पर बदलने की अनुमति नहीं होगी। विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को बदलवाने के लिए काउंटरों पर आने वाली जनता को इन नोटों को अपने खातों में जमा कराने के लिए प्रोत्साहित करें।
विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) के लिए चेस्ट गारंटी योजना (सीजीएसएस)	27 नवंबर	बैंकों में भंडारण सुविधाओं को दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि गारंटी करार के अंतर्गत जिला स्तर पर विनिर्दिष्ट करेंसी चेस्ट में विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को जमा कराने के लिए एक नई योजना शुरू की जाए जो भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालयों में उपलब्ध वर्तमान सुविधा के बराबर हो।
विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) के लिए चेस्ट गारंटी योजना (सीजीएसएस)	27 नवंबर	सीजीएसएस के दायरे को बढ़ाने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि करेंसी चेस्ट परिचालित करने वाले बैंकों को सीजीएसएस परिचालित करने की अनुमति दी जाए यदि उनकी मौजूदा करेंसी चेस्ट या उसी केंद्र में अतिरिक्त भंडारण स्थल है जो केंद्र करेंसी चेस्ट के जितना ही सुरक्षित है।
बैंक जमा खातों से नकदी आहरण में रियायत	28 नवंबर	करेंसी नोटों के सक्रिय प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि अच्छी तरह से विचार करने के बाद 29 नवंबर 2016 को या इसके बाद जमा कराए गए वर्तमान वैध मुद्रा नोटों का वर्तमान सीमा से अधिक तक आहरण करने की अनुमति दी जाए।
प्रधान मंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खाते सावधानियां	29 नवंबर	काले धन को वैध बनाने वालों एवं बेनामी संपत्ति लेनदेन और धन शोधन नियमों के तहत कानूनी खामियाजों से निर्दोष किसानों और प्रधान मंत्री जन धन योजना के ग्रामीण खाताधारकों को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से अस्थायी उपाय के तौर पर, बैंकों को सूचित किया गया है कि वे निम्नलिखित की निगरानी करें: (i) पूर्ण रूप से केवाईसी मानदण्ड पूरा करने वाले खाताधारकों को उनके खाते से एक माह में ₹ 10000/- आहरण की अनुमति होगी। शाखा प्रबन्धक केवल इस प्रकार के आहरण की सत्यता को सुनिश्चित करने तथा इनका बैंक रिकॉर्ड में विधिवत दस्तावेजीकरण करने के पश्चात वर्तमान लागू सीमाओं के अंतर्गत ₹ 10000/- से अधिक आहरण की अनुमति दे सकता है । (ii) सीमित तथा गैर केवाईसी मानदण्ड वाले खाताधारकों को 09 नवंबर 2016 के पश्चात विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के माध्यम से जमा की गई राशि में से समग्र उच्च सीमा ₹ 10000/- में से ₹ 5000/- आहरण की अनुमति होगी।

10-27 नवंबर 2016 के दौरान बैंकों में गतिविधि

अवधि	कुल विनिमय/ जमा	विनिमय	जमा	काउंटरों या एटीएमों के जरिए जनता द्वारा निकाली गई राशि
10-27 नवंबर 2016	₹ 8,44,982 करोड़	33,948 करोड़	₹ 8,11,033 करोड़	₹ 2,16,617 करोड़

महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला बैंक नोटों की सुरक्षा विशेषताएं

अग्रभाग

1. मूल्यवर्ग अंक सीथ्रूरजिस्टर
2. मूल्यवर्ग अंक का छिपा हुआ चित्र
3. देवनागरी में मूल्यवर्ग अंक
4. महात्मा गांधी के चित्र की अभिमुखता और आपेक्षिक स्थान में परिवर्तन
5. विंडोज सुरक्षा धागा, नोट को तिरछा करने पर हरे रंग से नीला होता है
6. गारंटी क्लॉज़, वचन वाक्यांश के साथ गवर्नर के हस्ताक्षर और भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक चिन्ह दायीं ओर स्थानांतरित हुआ है
7. चित्र और इल्क्ट्रोटाइप वॉटर मार्क है
8. बायी ओर ऊपर तथा दायीं ओर नीचे, पैनल पर संख्या पैनल में बाएँ से दायीं ओर बढ़ते आकार के अंक
9. दायी ओर नीचे रुपया चिह्न के साथ मूल्यवर्ग अंक, हरे से नीला रंग बदलती स्याही में
10. दायी ओर अशोक स्तंभ का प्रतीक है

दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए

महात्मा गांधी का चित्र, अशोक स्तंभ चिन्ह, ब्लीड रेखाएँ और पहचान चिन्ह इन्टेलियो या उभारदार मुद्रण में जारी रहेगा

पृष्ठ भाग:

11. बायें ओर नोट के मुद्रण का वर्ष
12. स्लोगन के साथ स्वच्छ भारत का लोगो
13. मध्य में भाषा पैनल
14. दायीं ओर देवनागरी लिपि में मूल्यवर्ग अंक

अन्य मूल्यवर्ग के नए डिज़ाइन के नोट इसके बाद आएंगे

अधिक जानकारी के लिए www.paisabotlahai.rbi.org.in देखें
ईमेल: publicqueryrbi.org.in | फोन: 022-22602201/22602944

फर्जी गतिविधियां विनिर्दिष्ट बैंक नोट

रिज़र्व बैंक को पता चला है कि कुछ स्थानों पर नकदी में विनिर्दिष्ट बैंकों नोटों को बदलने / खातों में जमा करने के लिए विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को स्वीकार करते समय कुछ बैंक शाखा अधिकारी कुछ शरारती तत्वों के साथ मिलकर फर्जी गतिविधियों में शामिल हैं। रिज़र्व बैंक ने 22 नवंबर 2016 को बैंकों को सूचित किया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि ऐसी फर्जी गतिविधियों को काफी सतर्कता से बंद किया जाए और ऐसी गतिविधियों में शामिल अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।

बैंकों को आगे यह भी सूचित किया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को बदलने और ऐसे नोटों को ग्राहकों के खातों में जमा करने से संबंधित अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन किया जाए। बैंक शाखाओं से यह भी अपेक्षित है कि वे निम्नलिखित का उचित रिकार्ड भी बनाए रखें:

- 10 नवंबर 2016 से विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के मूल्यवार ब्यौरे तथा प्रत्येक ग्राहक के जमा या ऋण खाते में जमा किए गए गैर-विनिर्दिष्ट बैंक नोटों का कुल मूल्य।
- कभी-कभी आने वाले और नियमित ग्राहकों द्वारा बदलवाए गए विनिर्दिष्ट बैंक नोटों का ग्राहक-वार और मूल्यवर्ग-वार रिकार्ड।

(https://www. rbi.org.in/Scripts/NotificationUser. aspx?Id=10731Mode=0)

वित्तीय बाजार विनियमन

मुद्रा बाजार फ्यूचर्स

रिजर्व बैंक ने 28 अक्टूबर 2016 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के अधिकृत शेयर बाजारों के लिए किसी भी रुपया मूल्यवर्ग मुद्रा बाजार ब्याज दर या मुद्रा बाजार के लिखत पर आधारित ब्याज दर फ्यूचर्स को निम्नानुसार प्रारंभ किया:-

आई आर एफ (रिजर्व बैंक) (संशोधन) निदेश, 2016

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

इन निदेश को ब्याज दर फ्यूचर्स (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 के रूप में संदर्भित किया जाएगा यह निदेश 28 अक्टूबर 2016 से प्रभावी होगें।

पात्र लिखतें

91-दिवसीय खज़ाना बिल के अलावा कोई भी मुद्रा बाजार ब्याज दर या लिखत

स्पष्टीकरण - 'मुद्रा बाजार ब्याज दर' का मतलब किसी भी मुद्रा बाजार लिखत पर ब्याज दर है।

ब्याज दर वायदा अनुबंध के लिए आवश्यक शर्तें

- जारी कोई भी वायदा अनुबंध निम्न आवश्यकताओं को पूरा करेगा
  वायदा अनुबंध किसी भी रुपया मूल्यवर्ग मुद्रा बाजार ब्याज दर या मुद्रा बाजार के लिखत के आधार पर किया जाएगा।
- दर / बेंचमार्क के गणना की विधि उद्देश्यपरक और पारदर्शी होनी चाहिए।
- वायदा अनुबंध भारतीय रुपए में नकद में तय किया जाएगा या जैसा रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित हो।
- पंजीकृत शेयर बाजार,को आदान-प्रदान पर किसी भी वायदा अनुबंध को करने से पहले,वायदा अनुबंध की पूरी जानकारी सेबी द्वारा विधिवत पुष्टि कराकर अनुमोदन के लिए रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करनी होगी।

पंजीकृत शेयर बाजार अंतर्निहित लिखत या ब्याज दर और करार के अन्य ब्यौरे के ढ़ाचे का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि, बाजारों में व्यापार के लिए किसी भी नए या संशोधित वायदा अनुबंध को शुरू करने से पहले, पंजीकृत शेयर बाजार को वायदा अनुबंध का पूर्ण विवरण, सेबी द्वारा विधिवत पुष्टि कराकर अनुमोदन के लिए रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करना होगा।

पृष्ठभूमि

यह नोट किया जाए कि है कि रिजर्व बैंक ने पहले ही 91-दिवसीय खज़ाना बिल, जो एक मुद्रा बाजार लिखत है पर आधारित वायदा की शुरूआत की अनुमति दी थी।इस वर्तमान निदेश का उद्देश्य,91-दिवसीय खज़ाना बिल फ्यूचर्स जिसे पहले से ही अनुमति दी गई है के अलावा, किसी भी मुद्रा बाजार लिखत या मुद्रा बाजार ब्याज दर को वायदा की अनुमति देना है।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10668Mode=0)

विदेशी मुद्रा प्रबंधन

स्टार्ट-अप द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधार

भारत सरकार के साथ परामर्श के बाद रिजर्व बैंक ने 27 अक्टूबर 2016 को प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी- ख बैंकों को स्टार्ट-अपकी अनुमति दी है ताकि वे निर्धारित ढांचे के तहत बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) बढ़ा सकें।

यह नोट किया जाए कि विदेशी मुद्रा में ईसीबी जुटाने वाले स्टार्ट-अप,जिसके पास प्राकृतिक हेज़ हो या नहीं, विनिमय दर गतिविधि के कारण मुद्रा जोखिम को उजागर कर रहे हैं और इसलिए यह सूचित किया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि ईसीबी से उत्पन्न संभावित जोखिम का प्रबंध करने के लिए एक उचित जोखिम प्रबंधन नीति उनके पास हो।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10667Mode=0)

ईसीबी – हेजिंग पर स्पष्टीकरण

बाजार में हेजिंग के तरीकों में एकरूपता लाने और स्पष्टता प्रदान करने के लिए ताकि प्रणालीगत स्तर पर मुद्रा जोखिम को प्रभावी रूप से हल किया जा सके, रिजर्व बैंक ने 7 नवंबर 2016 को निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किया है:

- कवरेज: जहां कहीं भी रिजर्व बैंक द्वारा हेजिंग अनिवार्य कर दिया गया है, बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) उधारकर्ता को वित्तीय हेजेज के माध्यम से मूल साथ ही साथ कूपन को कवर करना आवश्यक हो जाएगा। ईसीबी के संबंध में सभी जोखिम के लिए वित्तीय हेज ऐसे प्रत्येक जोखिम के समय शुरू कर देना चाहिए। (अर्थात् उधारकर्ता की किताबों में जिस दिन देनदारी को दर्शाया जाता है)।
- अवधि और रोलओवर: वित्तीय हेज के लिए एक वर्ष की एक न्यूनतम अवधि आवधिक रोलओवर सहित विधिवत सुनिश्चित करते हुए कि ईसीबी के प्रचलन के दौरान ईसीबी के कारण जोखिम किसी भी बिंदु पर हेज़रहित नहीं है।
- प्राकृतिक हेज :वित्तीय हेज के एवज में, प्राकृतिक हेज, पर केवल अनुमानित नकदी प्रवाह/ मुद्रा मिलान में राजस्व,अन्य सभी अनुमानित प्रवाहों के कुल,को पूरा करने की सीमा तक विचार किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए,एक ईसीबी को प्राकृतिक हेज़ माना जा सकता है यदि आफसेटिंग जोखिम का एक ही लेखा वर्ष के भीतर परिपक्वता/ नकदी प्रवाह हो। किसी भी अन्य व्यवस्थाओं/ संरचनाओं, जहां राजस्व विदेशी मुद्रा के लिए क्रमबद्ध किए गए हैं को प्राकृतिक बचाव के रूप में नहीं माना जाएगा।

पदनामित प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-I बैंक की जिम्मेदारी होगी कि वो सत्यापित करें कि 100 फीसदी हेजिंग आवश्यकता का पालन किया गया है। ईसीबी नीति के सभी अन्य पहलू यथावत बने रहेंगे

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10682Mode=0)

कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में एफपीआई द्वारा निवेश

जैसा कि केंद्रीय बजट 2016-17 में घोषित किया गया,रिजर्व बैंक ने 17 नवंबर 2016 को, कॉरपोरेट बॉन्ड क्रम के तहत एफपीआई द्वारा निवेश के लिए पात्र लिखतों के निवेश बास्केट का विस्तार करने के लिए निम्न को शामिल करने का फैसला किया है:

- तीन साल के न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता और एस्टेट व्यापार, पूंजी बाजार और भूमि की खरीद में निवेश पर अंतिम उपयोग प्रतिबंध के अधीन सार्वजनिक या निजी कंपनियों द्वारा गैरसूचीबद्ध कंपनी ऋण प्रतिभूतियों के रूप में गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर/ बांड । 'रियल एस्टेट बिजनेस' अभिव्यक्तिका मतलब विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) में दिए गए अनुसार समान होगा। एफपीआई के संरक्षक बैंकों को इस स्थिति के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
- प्रतिभूतिकृतऋण लिखतों के तहत निम्न रूप में:

क) आस्ति के प्रतिभूतिकरण के लिए स्थापित स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) द्वारा कोई भी प्रमाण पत्र या लिखत, जहां बैंक, वित्तीय संस्थान या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों प्रवर्तक हैं; और/या

ख) पब्लिक ऑफर पर सेबी विनियमन के अनुसार और प्रतिभूतिकृत ऋण लिखत, 2008 की सूचीकरण में जारी किए गए और सूचीबद्ध कोई भी प्रमाण पत्र या लिखत।

एफपीआई द्वारा गैर-सूचीबद्ध कंपनी ऋण प्रतिभूतियों और प्रतिभूतिकृत ऋण लिखतों में निवेश समय-समय पर कॉरपोरेट बॉन्ड जो वर्तमान में ₹ 2,44,323 करोड़ रुपए है के निर्धारित मौजूदा निवेश सीमा के भीतर ₹ 35,000 करोड़ से अधिक नहीं होगी। इसके अलावा, प्रतिभूतिकृत ऋण लिखतों में एफपीआई द्वारा निवेश न्यूनतम 3 साल के अवशिष्ट परिपक्वता आवश्यकता के अधीन नहीं होगा।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10718Mode=0)

अल्पना किल्लावाला, भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 द्वारा संपादित और प्रकाशित । मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू www.mcir.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है।